

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस

(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांक :— प.11(70)प्रशि. /इण्डेक्शन/2015/ ५३१४ दिनांक :— १५।८

स्थाई आदेश क्रमांक – ५/2018

राजस्थान पुलिस के निरीक्षक (सीपी/एपी) से राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रंखला में पदोन्नत होने वाले उप अधीक्षक पुलिस हेतु संलग्न 'इण्डेक्शन कोर्स' पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

३१८

(ओमी० गल्होत्रा)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादूमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुवत, जोधपुर/जयपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
7. प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
8. कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रैनिंग स्कूल, जोधपुर/किशनगढ़/खैरवाडा/झालावाड़/अलवर/भरतपुर/बीकानेर/पीएमडीएस, बीकानेर/पीसीटीएस, जोधपुर।
9. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(प्रशिक्षण) राजस्थान जयपुर।

३०।५।१८

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस

(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांक :- प.11(70)प्रशि./इण्डेक्शन/2015/५३/५ दिनांक :- ११/५/१८

स्थाई आदेश क्रमांक - ३/2018

राजस्थान पुलिस के निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर (सीपी के अतिरिक्त) रो राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रंखला में पदोन्नत होने वाले रो उप अधीक्षक पुलिस हेतु संलग्न 'इण्डेक्शन कोर्स' पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

३७८
(बो०पी० गल्होत्रा)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जोधपुर/जयपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान जय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
7. प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
8. कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रैनिंग स्कूल, जोधपुर/किशनगढ़/खैरवाड़/झालावाड़/अलवर/भरतपुर/बीकानेर/पीएमडीएस, बीकानेर/पीसीटीएस, जोधपुर।
9. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(प्रशिक्षण) राजस्थान जयपुर।
३०.५.१८

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.11(01)प्रशि /पॉलिसी/ 2019/ २७३। दिनांक:- 13.6.2019
स्थाई आदेश संख्या—...८...../2019

स्थाई आदेश संख्या—03/2018 द्वारा राजस्थान पुलिस के निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर (सीपी के अतिरिक्त) से राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रंखला में पदोन्नत होने वाले उप अधीक्षक पुलिस हेतु 09 सप्ताह का इण्डक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार स्थाई आदेश संख्या—04/2018 द्वारा राजस्थान पुलिस के निरीक्षक (सीपी/एपी) से राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रंखला में पदोन्नत होने वाले उप अधीक्षक पुलिस हेतु 06 सप्ताह का इण्डक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया हुआ है।

‘इण्डक्शन कोर्स’ पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों की अन्तिम परीक्षा आयोजित करने हेतु निम्नानुसार परीक्षा योजना तैयार की जाती है :-

1. प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में प्रयुक्त किये जाने वाले विषयों का एक प्रश्न—पत्र यानि कि 09 सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण कोर्स में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए 09 प्रश्न—पत्र तथा इसी प्रकार 06 सप्ताह के प्रशिक्षण कोर्स में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए 06 प्रश्न—पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न—पत्र 100 अंक का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50% प्राप्तांक अनिवार्य होगा, परन्तु समग्र प्राप्तांक 55% होना अनिवार्य होगा। इनके अतिरिक्त 50 अंक निदेशक मूल्यांकन के होंगे जिनमें से 25 अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
2. उक्त इण्डक्शन कोर्स में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी एक या दो प्रश्न—पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे पुनर्परीक्षा हेतु परीक्षा आयोजित होने से एक सप्ताह पूर्व प्रशिक्षण संस्थान में बुलाने हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेंट यूनिट/यूनिट प्रधान को सूचित किया जायेगा।
3. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी दो से अधिक प्रश्न—पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे अगले बैच के साथ सम्पूर्ण प्रशिक्षण पुनः प्राप्त करना होगा।
4. ऐसे मामले जिनमें कोई प्रशिक्षणार्थी सम्पूर्ण प्रश्न—पत्रों में तो उत्तीर्ण रहता है, परन्तु समग्र (aggregate) प्राप्तांकों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे समग्र अंकों में सुधार हेतु बोर्ड द्वारा उसके चाहेनुसार प्रश्न—पत्र/प्रश्न—पत्रों की पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि इसके पश्चात् भी प्रशिक्षणार्थी समग्र (aggregate) प्राप्तांकों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे अगले बैच के साथ पुनः सम्पूर्ण प्रशिक्षण में सम्मिलित होना होगा।

5. राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रंखला में पदोन्नत होने वाले उप अधीक्षक पुलिस को उक्त 'इण्डक्शन कोर्स' सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् ही फील्ड में पदस्थापित किया जायेगा।
6. जो अधिकारी राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रंखला में पदोन्नत होने के एक वर्ष के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए उक्त इण्डक्शन प्रशिक्षण कोर्स अनिवार्य नहीं होगा।

उक्त इण्डक्शन प्रशिक्षण कोर्स की अन्तिम परीक्षा आयोजित करने हेतु महानिदेशक पुलिस द्वारा निम्नांकित अधिकारियों का बोर्ड गठित किया जायेगा :—

- | | |
|---|------------|
| 1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस | अध्यक्ष |
| 2. उप महानिरीक्षक पुलिस | सदस्य |
| 3. उप निदेशक / प्राचार्य, आर.पी.ए., जयपुर | सदस्य सचिव |

यह स्थाई आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:— उप महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक, राजस्थान, जयपुर को पुलिस महानिदेशक महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो / कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी / प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
7. समरत जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी, जयपुर / जोधपुर।
8. समरत पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय, जयपुर / जोधपुर।
9. प्रधानाचार्य, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़।
10. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्स बटालियन्स।
11. समस्त कमाण्डेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, राजस्थान / पीसीटीएस, जोधपुर / पीएमडीएस, बीकानेर

13.6.19
महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.11(01)प्रशि / पॉलिसी / 2019 / २९८० , दिनांक:- २४.०६.२०१९

संशोधन आदेश

स्थाई आदेश संख्या-०८/२०१९

Pr
of
25/6/19
u/c

स्थाई आदेश संख्या-०८/२०१९ द्वारा उप अधीक्षक पुलिस इण्डक्शन कोर्स के लिए परीक्षा योजना तैयार कर जारी की गई थी। इस परीक्षा योजना में बिन्दु संख्या-१ में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्येक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 45% प्राप्तांक तथा समग्र प्राप्तांक 50% होना अनिवार्य किया जाता है।

शेष परीक्षा योजना यथावत रहेगी।


(कृपिल गर्ग)


महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- उप महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक, राजस्थान, जयपुर को पुलिस महानिदेशक महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो / कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी / प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राज., जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी, जयपुर / जोधपुर।
9. समस्त पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय, जयपुर / जोधपुर।
10. प्रधानाचार्य, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़।
11. समस्त कमाण्डेट, आर्ड बटालियन्स।
12. समस्त कमाण्डेट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, राजस्थान / पीसीटीएस, जोधपुर / पीएमडीएस, बीकानेर।


महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।



3134
26/6/19